न्यायालय अति0 सेशन न्यायाधीश, कम–2,
जयपुर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी	::	विद्यानन्द शुक्ला, आर.जे.एस. ''जिला न्यायाधीश संवर्ग''
सैशन प्रकरण संख्या	::	68–ए / 2025 (01 / 2015)(346 / 2014)
एन0सी0वी0 नंबर	::	718 / 2024
सी.एन.आर. नंबर	::	RJJD010011762014

राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर जिला जयपुर।

— बनाम —

1. रामकिशोर पुत्र प्रभू सिंह, निवासी–रामजीपुरा, पुलिस थाना–आंधी, जिला–जयपुर।
2. अमरसिंह पुत्र फूल सिंह,निवासी–नंगला बोहरा, पुलिस थाना–कुम्हेर, जिला भरतपुर।
3. पवन उर्फ छोटू पुत्र विरेन्द्र सिंह, निवासी–सारस चौराहे के पास, विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर, पुलिस थाना–मथुरा गेट, जिला–भरतपुर।
4. प्रवीण उर्फ पिन्टू पुत्र रमेश चंद, निवासी–नंगला बोहरा, पुलिस थाना–कुम्हेर, जिला–भरतपुर।
5. चेतन पुत्र अमरसिंह, निवासी–नंगला बोहरा, पुलिस थाना–कुम्हेर, जिला–भरतपुर।

–अभियुक्तगण

<u>अपराध अंतर्गत धारा 364, 364 / 34, 302 विकल्प में धारा 302 / 34, धारा 201 विकल्प में धारा 201 / 34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थितिः–</u>
1. श्रीमती माया खड़ोलिया, अपर लोक अभियोजक, जयपुर।
2. सर्व श्री नरेन्द्र यादव, सोनू कंवर एवं बीना शर्मा, अधिवक्तागण, अभियुक्त रामकिशोर की ओर से।
3. सर्वश्री राजवीरसिंह, बाबूलाल मीणा, राजेश, सज्जनसिंह, कुलदीपसिंह, मोहित शर्मा, महेन्द्रसिंह एवं मनीष मीणा अधिवक्तागण, अभियुक्त सं0 2 लगायत 5 की ओर से।

–:निर्णय:– **दिनांक 09 जून, 2026**

1. उपरोक्त उनवानी प्रकरण थाना आंधी की ओर से अभियुक्तगण रामकिशोर, पवन उर्फ छोटू, अमरसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र संख्या **100/2014** पर दिनांक 20.11.2014 को तथा शेष अभियुक्तगण चेतन एवं प्रवीण उर्फ पिंटू के विरूद्ध दिनांक 20.12.2014 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–1, जयपुर जिला जयपुर के समक्ष संस्थित हुआ। तत्पश्चात् यह प्रकरण कमिट होकर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ जहां से कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय को विधिवत निस्तारण हेतू प्राप्त हुआ।

संक्षिप्त तथ्य :–

2. प्रकरण के निस्तारण हेतु संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रथम सूचनाकर्ता जितेन्द्र कुमार सैन पी0ड0 2 द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्श पी–06 थानाधिकारी, पुलिस थाना आंधी के समक्ष इस आशय की पेश की गई *''कि दिनांक 05.07.2014 को सायंकाल करीब 6–7 पीएम पर सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 30–35 वर्ष जिसकी सड़ी गली क्षति विक्षत हालत में लाश ग्राम रासावाला वन भूमि में पुरानी खान में पड़ी हुई हैं, जिसका मध्यम शरीर पैंट शर्ट पहनी हुए तथा एक पैर में सफेद जूता पहने हुए हैं। उक्त मृतक के गले में सफेद बारीक रस्सी फंदानुमा बंधी हुई हैं तथा दोनो पैर तौलियानुमा कपड़े से बांधे हुए हैं। उक्त अज्ञात व्यक्ति की अज्ञात व्यक्तियों की हत्या कर दी व अपराध को छिपाने की गरज से लाश को खान में पटककर छिपा दिया।''*

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना आंधी में मुकदमा संख्या 47/2014 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रामकिशोर, पवन उर्फ छोटू, अमरसिंह के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र अंतर्गत धारा 302, 364, 201, 34 भादसं में दिनांक 20.11.2014 को तथा शेष अभियुक्तगण चेतन एवं प्रवीण उर्फ पिंटू के विरूद्ध धारा 302, 364, 201, 34 भादंस में दिनांक 20.12.2014 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपः–

4. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 04.03.2016 को

अभियुक्तगण रामकिशोर को धारा 364 सपठित धारा 34, 302 विकल्प में धारा 302/34, 201 विकल्प में धारा 201/34 भादसं व शेष अभियुक्तगण अमरसिंह, प्रवीण कुमार, पवन एवं चेतनसिंह को धारा 364, 302 विकल्प में धारा 302/34, 201 विकल्प में धारा 201/34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझ अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्य अभियोजनः–

5. अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने के हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नवत् गवाहान को परीक्षित करवाया गया :–

नाम गवाह	**पी0ड0**
मदन मोहन	पी0ड0 1
जितेन्द्र कुमार सैन	पी0ड0 2
भगवानसहाय	पी0ड0 3
डॉ0 राजेन्द्र शर्मा	पी0ड0 4
राजाराम	पी0ड0 5
आदित्य दीक्षित	पी0ड0 6
डॉ0 महेन्द्र खींची	पी0ड0 7
राकेश कुमार धवन	पी0ड0 8
देवीसहाय	पी0ड0 9
प्रदीप कुमार	पी0ड0 10
इन्द्रजीत	पी0ड0 11
मंगलसिह	पी0ड0 12
मधुसुदन	पी0ड0 13
प्रशान्त शर्मा	पी0ड0 14
विकास उर्फ विक्की	पी0ड0 15
डॉ. रामेश्वरसिंह	पी0ड0 16
राकेश कुमार	पी0ड0 17
गायत्री	पी0ड0 18
भरतसिंह	पी0ड0 19
तनुजा	पी0ड0 20
भावना	पी0ड0 21

मूर्तिदेवी	पी0डं0 22
अजीत बंजारा	पी0डं0 23
महेन्द्र कुमार शर्मा	पी0डं0 24
हरसहाय	पी0डं0 25
छोटूराम	पी0डं0 26
रामावतार पलसानियॉ	पी0डं0 27
योगेश स्वामी	पी0डं0 28
सुमेर	पी0डं0 29
सुशील कुमार शर्मा	पी0डं0 30
हरिकृष्ण तंवर	पी0डं0 31
मुकुट बिहारी	पी0डं0 32
मोंटू गुप्ता	पी0डं0 33
निहालसिंह	पी0डं0 34
रामेश्वर दयाल	पी0डं0 35
राधेश्याम	पी0डं0 36
के0 रवि	पी0डं0 37
श्याम प्रतापसिंह	पी0डं0 38
प्रभात कुमार	पी0डं0 39
बाबूलाल शर्मा	पी0डं0 40
राजेश त्रिपाठी	पी0डं0 41
कैलाशचंद	पी0डं0 42
श्यामसुंदर	पी0डं0 43

6. अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजीय साक्ष्य निम्नवत् प्रदर्शित करवायी गयी :–

दस्तावेज का नाम	**प्रदर्श कमांक**
गुमशुदा व्यक्ति की सूचना	प्रदर्श पी–1
चाक एफआईआर नं0 343 / 2014 थाना कुम्हेर	प्रदर्श पी–2
फर्द शिनाख्तगी पार्चेजात मृतक अज्ञात	प्रदर्श पी–3
मर्ग रिपोर्ट	प्रदर्श पी–4
फर्द पंचायतनामा	प्रदर्श पी–5
तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–6
चाक एफआईआर नं0 74 / 2014 थाना आंधी	प्रदर्श पी–7
नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–8

नक्शा निशादेही मौका द्वारा मुलजिम रामकिशोर	प्रदर्श पी–9
नक्शा निशादेही मौका द्वारा मुलजिम पवन	प्रदर्श पी–10
नक्शा निशादेही मौका द्वारा मुलजिम अमरसिंह	प्रदर्श पी–11
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अज्ञात	प्रदर्श पी–12
फर्द जप्ती एक चिपनुमा पतली रस्सी प्लास्टिक व दुपट्टानुमा तौलिया	प्रदर्श पी–13
फर्द जप्ती पार्चेजात शर्ट, जींस आदि	प्रदर्श पी–14
फर्द गिरफतारी मुलजिम अमरसिंह	प्रदर्श पी–15
फर्द गिरफतारी मुलजिम पवन कुमार	प्रदर्श पी–16
फर्द गिरफतारी मुलजिम रामकिशोर	प्रदर्श पी–17
फर्द गिरफतारी मुलजिम चेतनसिंह	प्रदर्श पी–18
फर्द गिरफतारी मुलजिम प्रवीण कुमार पिंटू	प्रदर्श पी–19
फर्द जप्ती ड्राईविंग लाईसेंस	प्रदर्श पी–20
पुलिस बयान मंगलसिंह	प्रदर्श पी–21
फर्द जप्ती कार इण्डिगो	प्रदर्श पी–22
पुलिस बयान गायत्री	प्रदर्श पी–23
इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम पवन बाबत लाश छिपाने के स्थान	प्रदर्श पी–23
इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम अमरसिंह बाबत लाश छिपाने के स्थान	प्रदर्श पी–24
फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम पवन बाबत कार	प्रदर्श पी–25
इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम अमरसिंह बाबत लाश छिपाने के स्थान	प्रदर्श पी–26
इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम प्रवीण बाबत लाश छिपाने के स्थान	प्रदर्श पी–27
इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम चेतनसिंह बाबत लाश छिपाने के स्थान	प्रदर्श पी–28
इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम प्रवीण कुमार बाबत मृतक रवि गर्ग का अपहरण करने के स्थान	प्रदर्श पी–29
फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम चेतनसिंह बाबत मृतक रवि गर्ग का अपहरण करने के स्थान	प्रदर्श पी–30
नक्शा मौका निशादेही घटनास्थल द्वारा मुलजिम प्रवीण कुमार	प्रदर्श पी–31
नक्शा मौका निशादेही घटनास्थल द्वारा मुलजिम चेतन	प्रदर्श पी–32
नक्शा मौका निशादेही घटनास्थल बाबत अपहरण स्थल द्वारा मुलजिम चेतन	प्रदर्श पी–33
नक्शा मौका निशादेही घटनास्थल बाबत अपहरण स्थल द्वारा मुलजिम प्रवीण कुमार	प्रदर्श पी–34
पुलिस बयान लक्ष्मी कुमारी	प्रदर्श पी–35
पुलिस बयान श्रीमती मूर्ति	प्रदर्श पी–36
ड्राईविंग लाईसेंस	प्रदर्श पी–37
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के मोबाईल यूनिट की निरीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श पी–38
फोटोग्राफस	प्रदर्श पी–39 लगायत 45
बीएसएनएल से प्राप्त पत्र दिनांकित 10.11.2014	प्रदर्श पी–46

एसडीआर मोबाईल नं0 9414584745	प्रदर्श पी—47
सीडीआर मोबाईल नं0 9414584745	प्रदर्श पी—48 लगायत 56
एसडीआर मोबाईल	प्रदर्श पी—57
सीडीआर	प्रदर्श पी—58 से 61
	प्रदर्श पी—62
फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम चेतनसिंह बाबत पर्स व मोबाईल बरामदगी	प्रदर्श पी—63
फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम प्रवीण कुमार बाबत पर्स व मोबाईल बरामदगी	प्रदर्श पी—64
मालखाना रजिस्टर की प्रति	प्रदर्शपी—65,66
रोजनामचा रपट दिनांकित 22.09.2014	प्रदर्श पी—67
रोजनामचा रपट दिनांकित 24.09.2014	प्रदर्श पी— 68
न्यायालय एसीजेएम कुम्हेर में प्रस्तुत इस्तगासा	प्रदर्श पी—69
पुलिस थाना कुम्हेर द्वारा प्रस्तुत एफआर नं. 124 / 2014	प्रदर्श पी—70
बीएसएनएल से प्राप्त पत्र दिनांकित 10.11.2014	प्रदर्श पी—71
एसडीआर	प्रदर्श पी—72
सीडीआर मोबाईल नं0 9413967805	प्रदर्श पी—73, 74
फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधि0 द्वारा मुलजिम रामकिशोर	प्रदर्श पी—75
सिस्टमा श्याम टेलिसर्विसेज लि0 का पत्र व प्रमाण पत्र व सीडीआर	प्रदर्श पी—76, 77 व 78
भारती हैक्सा टेलिकोम लि. द्वारा जारी पत्र मय प्रमाण पत्र व सीडीआर	प्रदर्श पी—79 से 86
एयरसेल लि0 द्वारा जारी मय पत्र मय कंज्यूमर फार्म मय सीडीआर	प्रदर्श पी—87 व 88 व 90 से 93
मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदीप कुमार	प्रदर्श पी—89
प्रमाण पत्र धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम	प्रदर्श पी—94
एयरसेल लि0 द्वारा जारी मय पत्र मय कंज्यूमर फार्म मय सीडीआर मय आधार कार्ड	प्रदर्श पी—95 लगायत 99
वोडाफोन लि0 द्वारा जारी मय पत्र मय कंज्यूमर फार्म मय सीडीआर	प्रदर्श पी—100 से 103
मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	प्रदर्शपी—104ए लगायत 107ए

7. अभियुक्तगण को धारा 313 दं.प्र.सं. में परीक्षित किया गया, अपनी परीक्षा में उन्होने गवाहों के बयानों को गलत होना बताया तथा जाहिर किया कि वे निर्दोष हैं, उनको झूंठा फंसाया गया हैं तथा उन्होने ना ही किसी का अपहरण किया है और ना ही किसी को मारा हैं। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने का अभिवाक् किया ।

प्रतिरक्षा साक्ष्य :–

8. अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में अभियुक्त स्वयं रामकिशोर डी0ड0 1 को परीक्षित करवाया।

बहस :–

9. अभियुक्त रामकिशोर की ओर से लिखित बहस पेश की गयी साथ ही अन्य अभियुक्तगण द्वारा मौखिक बहस भी की गयी। अभियुक्त द्वारा लिखित बहस में निम्नवत् बिन्दुवार तर्क प्रस्तुत कर अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया :–

(1) कि हस्तगत प्रकरण में उक्त धाराओं 364, 302, 201, 34 भा.दं.सं. के आक्षेपित अपराध के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों में से किसी भी स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाह की साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है अपितु मृतक के पिता मदन मोहन PW-1. बहिन तनुजा PW-20, बहिन भावना PW-21. (परस्पर हितग्राही गवाह) के बयानों के अलावा आक्षेपित अपराध के समर्थन में अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

(2) कि पी.डब्लू 32 मुकुट बिहारी (एसएचओ थाना आंधी) अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में कथन किया है कि दौराने अनुसधन सामने आया कि श्री अमरसिंह पुत्र श्री फूलसिंह ने अपनी पुत्री लक्ष्मी कुमारी तथा मृतक रवि गर्ग के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 325 / 14 धारा 328, 120 बी आई.पी.सी. पंजीबद्ध करवाया है। इसी दरम्यान अमरसिंह तथा उसके भान्जे पवन कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया जिन्होने तफ्तीश के दौरान सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी को मुकदमा नम्बर 74 / 14 धारा 302, 201 आई.पी.सी. थाना आन्धी के मृतक रवि की हत्या कर लाश को थाना आन्धी क्षेत्र में पत्थारो की खान में पटकना बताया है। थानाधिकारी कुम्हेर ने मुकदमा नम्बर 325 / 14 धारा 328, 364, 120 बी आई.पी.सी. के अनुसंधान के दौरान मुलजिमान के पुछताछ नोट में थाना आन्धी के मुकदमा नम्बर 74 / 14 धारा 302, 201 भारतीय दण्ड सहिता में मुलजिमान श्री अमरसिंह पुत्र श्री फूलसिंह, उसके पुत्र चेतन, भतीजा प्रवीण उर्फ पिन्टु पुत्र रमेश, भान्जा पवन उर्फ छोटू पुत्र विरेन्द्रसिंह तथा रामकिशोर पुत्र प्रभूसिंह के द्वारा श्री रवि गर्ग की हत्या करना व शरीके

जूर्म होना बताया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा केवल अन्य अभियुक्तगणो की पुछताछ नोट के आधार पर जो कि अन्य अनुसंधार अधिकारी द्वारा अन्य प्रकरण में लिये गये थे को आधार बनाकर अभियुक्त रामकिशोर को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं ने अन्य अभियुक्त अमरसिंह व पवन उर्फ छोटू से कोई पुछताछ नहीं की ।

(3) कि पी.डब्लू 16 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि प्रकरण संख्या 74/2014 थाना आंधी जिला जयपुर ग्रामीण की पत्रावली अनुसंधान हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के आदेश से दिनांक 27.08.2014 को प्राप्त हुई। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मैं मोहनपुरा स्टेड गया था। मोहनपुरा बस स्टैंड कि पास ही बंजारों के घर है वहां के तीन बयान तफ्तीश के दौरान लिये जाकर पत्रावली में शामिल किये गये। यह कहना सही है कि मैने मोहनपुरा बस स्टैंड पर किसी भी ऐसे व्यक्ति के बयान नहीं लिये जिसने यह कहा हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक को ले जाते हुए देखा हो। यह कहना सही है कि मेरी तफ्तीश के दौरान ऐसा कोई गवाह नहीं आया जिसने चिपनुपा प्लास्टिक की पतली रस्सी को अभियुक्तगण द्वारा उठाते हुए देखा हो। यह बात सही है कि मोहनपुरा बस स्टैंड के आस पास दुकाने है व बसों व लोगो काभी आवागमन है। मोबाईल की लोकेशन कितनी दूरी तक आती है इसके संबंध में संबधित सरइबर एक्सपर्ट बता सकते है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिन तीन गवाहो के बयान लेना बताया है उन तीनो गवाहो ने उक्त घटना की जानकारी व किसी का फोन व घर पर आने से साफ साफ इन्कार किया है। इससे अनुसंधान अधिकरी बिना किसी आधार के मुलजिम मानाया हे जबकि अभियुक्त रामकिशोर बंजार पूर्णतय निर्दोष है।

(4) कि गवाह पी.डब्लू–2 जितेन्द्र कुमार सैन ने अपने मुख्य प्ररीक्षण में कहा कि दिनांक 26.08.2014 को सायं 5 बजे मुलजिम रामकिशोर बंजारा की निशादेही से निशाादेही नक्शा मौका कसीद किया था जो एक्जीपी 9 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है जबकि अपने जिरह में कहता है कि नक्शा मौका निशादेही एक्जीपी 9 दिनांक 10.07.2014 को बनाया था। नक्शा मौका 3.20

बजे शाम को बनाया था। जबकि अभियुक्त रामकिशोर बंजारा की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2014 को शाम 3.30 बजे बताई है।

(5) कि गवाह पी.डब्लू—3 भगवान सहाय ने अपने मुख्य प्रीक्षण में कहा कि दिनांक 26.08.2014 को सायं 5 बजे मुलजिम रामकिशोर बंजारा की निशादेही से निशादेही नक्शा मौका कसीद किया था जो एक्जीपी 9 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है जबकि अपने जिरह में कहता है कि पुलिस 6 जलाई को मौके पर गई थी। एक नक्शा 6 जुलाई को व दुसरा 10 जुलाई को बनाया था। 6 तारीख को हरसहाय गुर्जर ने भी हस्ताक्षर किए थे। नक्शा मौका एक्जीपी 9 करीब 11 बजे बनाया था। जबकि अभियुक्त रामकिशोर बंजारा की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2014 को शाम 3.30 बजे बताई है।

(6) कि गवाह पी.डब्लू—10 प्रदीप कुमार ने अपने मुख्य प्रीक्षण में कहा कि दिनांक 26.08.2014 को समय अपरान्ह 3.30 पर कैम्प थाना आंधी जिला जयपुर ग्रामीण के इंचार्ज साहब मुकुट बिहारीजी ने थाने पर ही मुलजिम रामकिशोर को थाने पर ही गिरफ्तार किया गया था जो कि प्रदर्श पी 17 है जिस पर भी ऐ से बी मेरे हस्ताक्षर है। तथा अपने जिरह में कहा कि मुलजिम रामकिशोर को थाने पर एसएचओ साहब ने फोन करके थाने पर बुलाया था। मुलजिम करीब ढाई बजे थाने पर आ गया था। यह कहना सही है कि मुलजिम को मेरे सामने कोई फोन नही किया था। आइओ साहब ने मुलजिम को थाने में ही बैठा रखा था। स्वतंत्र गवाह के लिये आईओ साहब ने कोई नोटिस दिया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। मुलजिम रामकिशोर के कोई पहचान चिन्ह हो तो मुझे ध्यान नहीं है। मुलजिम ने किस तरह के कपडे पहन रखे थे, यह भी मुझे ध्यान नही है। प्रदर्श पी 17 की लिखा—पढी एसएचओ साहब ने की थी। जबकि फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 17 में मुलजिम का हुलिया लिखा गया है जिसमें लिखा है कि दाहिने हाथ की कलाई पर हिन्दी भाषा में ''रामकिशोर''गुदा हुआ है तथा दाहिने पैर के घुटने पर पुरानी चोट का निशान बना हुआ।

(7) कि गवाह पी.डब्लू 41 राजेश त्रिपाठी (नोडल ऑफिसर वोडाफोन आईडिया) ने अपनी जिरह में प्रदर्श पी 100 लगायत 103 पर मेरे हस्ताक्षर नही है और न ही उक्त दस्तावेज मेरे द्वारा जारी किए गए है। उक्त नंबर द्वारा

किस व्यक्ति से क्या बातचीत की गई है मैं नहीं बता सकता। इससे अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कॉल डिटेल संदेह में आती है।

(8) कि गवाह पी.डब्लू 32 मुकुट बिहारी (एसएचओ थाना आंधी) ने अपनी जिरह में कथन किया है कि मौके पर किसी डॉक्टर को बुलाकर लाश की अवधि के बारे में पुछताछ नहीं की थी अज खुद कहा कि दिनांक 11.07.2017 को लाश का पोस्टमार्टम करवाया था तब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि लाश 8–10 दिन पुरानी है।

(9) कि गवाह पी.डब्लू 4 डॉक्टर राजेन्द्र शर्मा, पी. डब्लू 6 डॉक्टर आदित्य दीक्षित व पी.डब्लू 7 डॉक्टर महेन्द्र खीची ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि मृत्यू का कारण नही बताया जा सकता। ना ही आज तक डी.एन.ए. की कोई रिपोर्ट आई जिससे पुष्टी हो सके कि लाश रवि गर्ग की ही है।

10. उपरोक्त तर्को एवं आधारों को अन्य अभियुक्तगण की ओर से कमोबेश अपनी बहस में दोहराया हैं तथा न्यायालय से प्रार्थना की गयी है कि प्रकरण में आई साक्ष्य व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांतों की रोशनी में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावें।

11. अभियोजन की ओर से मौखिक बहस करते हुए जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो गवाह प्रस्तुत किए गए है उनसे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसके संबंध में समस्त कड़िया आपस में जोड़ते हुए गवाहान ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया हैं। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किया जावें।

<u>विचारणीय बिन्दू</u>

12. हस्तगत आपराधिक प्रकरण जितेन्द्र कुमार सैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 पर अस्तित्व में आया था। प्रदर्श पी–4 के अनुसार दिनांक 05.07.2014 को सायंकाल 6–7 पीएम पर एक व्यक्ति की लाश कली की खान ग्राम रासावाला में वन भूमि में पड़ी हुई मिली जो सड़ी गली, क्षत विक्षत हालत में थी। उक्त रिपोर्ट मर्ग रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत हुई थी जिसके पश्चात् प्रकरण में

कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कालातंर में मृत शरीर की पहचान मृतक रवि गर्ग के रूप में हुई जो पहचान उसके पिता मदनमोहन पी0ड0 1 द्वारा उसके कपड़ो को देखकर की गयी और फिर अनुसंधान के बाद यह पाया गया कि अभियुक्तगण ने समान आशय (Comman Intention) रखते हुए मृतक रवि गर्ग का अपहरण किया और फिर प्लास्टिक की रस्सी के फंदे से गला दबाकर हत्या कर दी और अपराध को छिपाने के लिए लाश को खान के पास ले जाकर फैंक दिया और उसकी मोबाईल का सिम सक्रिय रखकर मृतक के मोबाईल फोन से लक्ष्मी नाम की लड़ी को मैसेज कर मिथ्या साक्ष्य भी गढी।

13. लक्ष्मी अभियुक्त अमरसिंह की पुत्री है जिससे कि अभियोजन कथानक के अनुसार मृतक रवि गर्ग का प्रेम प्रसंग था, जिस प्रेम प्रसंग से क्रोधित होकर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय रखते हुए अपराध कारित किया तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्नवत् उत्पन्न होते है :–

(1) कि क्या दिनांक 05.04.2014 को कली की खान ग्राम रासावाला वन विभाग की भूमि में सांय 6–7 पीएम पर मिली लाश जिसका पोस्टमार्टम जरिये प्रदर्श पी–12 करवाया गया, वह मृतक रवि गर्ग पुत्र मदन मोहन, जाति वैश्य निवासी–लोहागढ स्कुल के पास, शास्त्रीनगर, थाना मथुरा गेट, भरतपुर (राज0) की थी ?

(2) कि क्या उक्त मृतक रवि गर्ग का अभियुक्त अमरसिंह की पुत्री लक्ष्मी से मिलना जुलना और प्रेम प्रसंग था ?

(3) कि क्या अभियुक्त अमरसिंह ने अन्य अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय रखकर अपनी पुत्री लक्ष्मी ओर रवि गर्ग के प्रेम संबंधों से क्रोधित होकर रवि गर्ग का अपहरण कर साशय मृतक रवि गर्ग की हत्या कारित की ?

(4) यदि हॉ, तो क्या अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के क्रम में घटना को छिपाने के लिए मृतक रवि गर्ग की लाश को कली की खान ग्राम रासावाला वन भूमि की जमीन में रख दिया ?

(5) कि क्या इस आशय की साक्ष्य गढने के लिए कि मृतक रवि गर्ग जिन्दा है, मृतक की सिम का उपयोग मृतक की सिम को सक्रिय रखते हुए अमरसिंह की पुत्री लक्ष्मी को मैसेज देने हेतु उपयोग में लिया गया और मैसेज भेजकर इस आशय की मिथ्या साक्ष्य गढी ?

(6) यदि हॉ तो, अभियुक्तगण प्रत्येक किस अपराध के लिए दोषी होंगे और उनके लिए उचित दंड क्या होगा ?

विवेचना :–

14. हस्तगत प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्षी मौजूद नहीं रहा है ऐसी दशा में अभियोजन का पूरा कथानक परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टान्त शरद बिरदीचंद बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622 के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के निम्न आवश्यक तत्व होना प्रतिपादित किया था :–

(1) कि अपराध की परिस्थितियां पूरी तरह साबित होनी चाहिए, जिन परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से और निर्विवाद रूप से स्थापित होनी चाहिए (अनुमान या संभावना नहीं)

(2) कि सबूतों का क्रम (Chain of Evidence) जिससे परिस्थितियाँ साबित हुई हैं, वे एक ऐसी अटूट श्रृंखला का निर्माण करनी चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त के अलावा किसी और ने अपराध नहीं किया है

(3) कि उन परिस्थितियों का स्वरूप और प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि वे केवल और केवल अभियुक्त के दोषी होने की ओर ही इशारा करें

(4) कि स्थापित परिस्थितियाँ किसी और संभावना या परिकल्पना की गुंजाइश न छोड़ें, अर्थात् वे अभियुक्त की बेगुनाही के सिद्धान्त के साथ बिल्कुल मेल नहीं खानी चाहिए

(5) कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) को मामले को इस हद तक साबित करना चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही का कोई तर्कसंगत आधार न बचे।

अब विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में साक्ष्य की विवेचना उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निम्नवत् की जा रही है–

विचारणीय बिन्दु संख्या—1

15. विचारणीय बिन्दु संख्या—1 के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रमुखतः जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उनमें प्रदर्श पी—3 फर्द शिनाख्तगी पार्चेजात मृतक रवि गर्ग सबसे महत्वपूर्ण हैं जिसके अनुसार मृतक के शरीर पर जो कपड़े थे उनकी पहचान मृतक की बहन कु0 भावना और मृतक के पिता पी0ड0 1 मदन मोहन द्वारा की गयी। उक्त प्रदर्श पी—3 दिनांक 09.08.2014 को तैयार किया गया है जबकि लाश दिनांक 05.07.2014 एंव 06.07.2014 के मध्य बरामद हो चुकी थी।

16. मृतक की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी—5 दिनांक 06.07.2014 को ही तैयार कर लिया गया था जो कि मृतक की लाश सड़ी गली अवस्था में प्राप्त हुई थी और उसका पोस्टमार्टम जरिये प्रदर्श पी—12 दिनांक 11.07.2014 को किया गया।

17. यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी—12 का अवलोकन करें तो उसमें लाश सड़ी गली, क्षत विक्षत लावारिस अवस्था में बरामद होना बताया गया हैं, उसमें मृत्यु का कारण भी निश्चित ना किया जा सकना जाहिर किया गया है। फिर भी दांत, दांतो की जड़, कपाल के बाल, हडिडया प्रिजर्व कर एफएसएल में डीएनए प्रोफाईल के लिए भेजा जाना जाहिर किया गया है और यह भी जाहिर किया गया है कि अंतिम राय एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही दी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि मृतक शरीर की पहचान भौतिक रूप से करवायी नहीं जा सकी थी क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं था, मृतक शरीर के मृतक रवि गर्ग का होने बाबत दो ही साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला— उसके शरीर से बरामद कपड़े जिनकी पहचान पीड़ित मदन मोहन और उसकी पुत्री द्वारा भी की गयी है और दूसरा— एफएसएल रिपोर्ट जो मृतक की डीएनए प्रोफाईल के संबंध में है।

18. अब मृतक की लाश को बरामद करने के पश्चात् प्रदर्श पी—14 के जरिये उसके शरीर पर पहने हुए कपड़ों को जप्त किया गया था, प्रदर्श पी—14 में यह लेख है कि दिनांक 11.07.2014 को मृतक के शरीर को डीप फ्रिज से बाहर निकालकर दौराने पोस्टमार्टम उसके पहने हुए कपड़ो को जप्त किया गया और

उसके शरीर पर पहने हुए कपड़ों में एक चौखाने की फटी हुई शर्ट, एक जीन्स की नीले रंग की फटी हुई पैंट मय लाल रंग का चमड़े का बैल्ट लगा हुआ, एक सफेद फटी हुई बनियान, एक फटा हुआ अण्डरवीयर आसमानी रंग का व दो सफेद रंग के जूते बरामद हुए थे। जिसका विशिष्ट विवरण भी प्रदर्श पी–14 में दर्ज है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम के पश्चात् शव किसे सौंपा गया इसका कोई उल्लेख अभियोजन साक्ष्य में नहीं हैं ना ही उसके अंतिम संस्कार किये जाने का कोई विशिष्ट उल्लेख है।

19. अभियोजन कथानक के अनुसार पोस्टमार्टम और अन्य कार्यवाहियों के पश्चात् यह जानकारी में आया कि पुलिस थाना कुम्हेर जिला भरतपुर में पीड़ित/परिवादी मदन मोहन के परिवाद प्रदर्श पी–69 पर एक मुकदमा संख्या 343/2014 दर्ज हुआ हैं जिसमें पीड़ित मदन मोहन ने अपने पुत्र रवि के अपहरण एवं बाद में हत्या के संदेह का तथ्य जाहिर किया है। उक्त प्रदर्श पी–69 में यह जाहिर हुआ था कि मदन मोहन का पुत्र रवि गर्ग दिनांक 30.06.2014 को जयपुर जाने की कहकर घर से सुबह 5 बजे गया, दिनांक 30.06.2014 को शाम को रवि गर्ग ने फोन बताया कि वह जयपुर से दूसरे दिन वापस आयेगा, दिनांक 01.07.2014 को रवि गर्ग के मोबाईल नंबर 8561080434 से एक लड़की का फोन आया जिसने अपना नाम लक्ष्मी उर्फ आस्था पिता का नाम अमरसिंह निवासी बोहरा का नगला, भरतपुर होना बताया तथ लक्ष्मी ने फोन पर बताया कि उसकी रवि गर्ग से दोस्ती थी और रवि दिनांक 30.06.2014 को लक्ष्मी के साथ ही जयपुर में था लेकिन लक्ष्मी के भाई नरेन्द्रसिंह व चेतन तथा पिता अमरसिंह, मामा बृजेन्द्रसिंह को पता लग गया और यह सभी लक्ष्मी और रवि को जयपुर से गांव बोहरा का नगला ले आए और रवि और लक्ष्मी की पिटाई की। प्रदर्श पी–69 के मुताबिक लक्ष्मी ने फोन से बताया था कि उसके घर वाले बहुत खतरनाक है और वे रवि और उसके घरवालों को भी जान से मार देगें। प्रदर्श पी–69 के अनुसार दिनांक 02.07.2014 को लक्ष्मी के बुलाने पर मदन मोहन की बेटी भावना लक्ष्मी की सहेली के रूप में उससे मिलने गयी तब लक्ष्मी ने बताया था कि घर वालों ने आश्वासन दिया है कि वो लक्ष्मी की शादी

रवि के साथ कर देगें और रवि का उकत मोबाईल भी लक्ष्मी के पास ही था। जिस घटना की सूचना पुलिस थाना मथुरा गेट पर दिनांक 30.07.2014 को पीड़ित द्वारा दी गयी।

20. प्रदर्श पी–69 के मुताबिक लक्ष्मी ने तीन चार जुलाई तक कई बार उक्त मोबाईल नंबर से प्रार्थी के घर फोन किया और बाते की और यह बताया कि लक्ष्मी के मामा बृजेन्द्रसिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय भरतपुर में नौकरी करते है और बहुत खतरनाक लोग है जिस कारण लक्ष्मी अपने घरवालों के खिलाफ कोई बयान नहीं दे सकती। रिपोर्ट के मुताबिक पीडित और उसके परिवार वाले कई दिनों तक इंतजार करते रहे कि लक्ष्मी के घर वाले रवि को छोड़ देगें लेकिन उन्होने रवि को नहीं छोडा तब दिनांक 05.07.2014 को पीड़ित ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को दी जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तब पीड़ित को प्रदर्श पी–69 परिवाद दिनांक 10.07.2014 को न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ा।

21. अब उक्त परिवाद प्रदर्श पी–69 पर अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–70 प्रस्तुत हुआ। प्रदर्श पी–70 के अनुसार दिनांक 05.07.2014 को अमरसिंह खुद व अपनी पत्नी, लड़का चेतन व छोटी लड़की को नींद की गोली खिलाकर दिनांक 06.07.2014 को आरबीएस अस्पताल भरतपुर में भर्ती होकर जयपुर रेफर हो गए और पर्चा बयान में लक्ष्मी और रवि के विरूद्ध जहर देकर व जेवर ले जाने का बयान दिया जिस पर मुकदमा नंबर 325 / 2014 दर्ज हुआ। अमरसिह की मोबाईल व कॉल डिटेल लोकेशन जमवारामगढ व आंधी में आने पर शक के आधार पर थाना आंधी जिला जयपुर से संपर्क किया तो थाना हाजा में एक अज्ञात लाश मिलने पर एक मर्ग संख्या 74 / 2014 थाने में दर्ज हई है जिस मुकदमें में मिली अज्ञात लाश व सामान की शिनाख्त कर मदन मोहन ने रवि की होना बताया। जिसके आधार पर अदम वकु गैर ईलाका मानकर पुलिस थाना कुम्हेर द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

22. अब इन तथ्यों के सत्यापन बाबत यदि हम साक्ष्य का अवलोकन करें तो न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी के रूप में डॉ0

रामेश्वरसिंह पी0ड0 16 परीक्षित हुए हैं जिन्होने अनुसंधान हेतु पत्रावली दिनांक 27.08.2014 को प्राप्त होना जाहिर किया है। उससे पूर्व मुकुट बिहारी पी0ड0 32 द्वारा हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी जो अपनी मुख्य परीक्षा में मर्ग इत्यादि व मृतक के शरीर पर पहने कपड़ो की बाबत कथन करते है और कहते है कि कपड़ो की पहचान मृतक की बहन व उसके पिता द्वारा की गयी थी इस बाबत जब उनसे जिरह की गयी तो उनका यह कहना रहा कि लाश अज्ञात थी और सभी जिलों में अज्ञात लाश बाबत वायरलेस से सूचना भेजी गयी थी जो सूचना भेजने की ट्रांसक्रिप्ट पत्रावली पर नहीं है। इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 05.07.2014 से 10.07.2014 तक कपड़ो की जप्ती की कोई फर्द नहीं बनाई जबकि खुद कहा कि दिनाक 06.07.2014 को फर्द जप्ती कपड़ो की बनायी थी परन्तु पत्रावली देखकर बताया कि दिनांक 06.07.2014 की कोई फर्द कपड़े की जप्ती बाबत नहीं हैं फिर खुद कहा कि पोस्टमार्टम के बाद कपड़ो की जप्ती बनायी थी। आगे यह स्वीकार किया है कि दिनांक 09.08.2014 को मृतक के पिता, ताउ व बहन ने मृतक के कपड़े व जूते पहचाने फिर यह स्वीकार किया है कि दिनांक 08.08.2014 को मृतक के पार्चेजात को देखकर शिनाख्त नहीं की थी। उक्त अनुसंधान अधिकारी ने कहीं भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह जाहिर नहीं किया है कि मृतक के शरीर से जो सैम्पल जप्त किए गए उनकी डीएनए प्रोफाईल मैच कराने के लिए पीड़ित मदन मोहन के शरीर से सैम्पल कब और किस प्रकार लिए गए।

23. अब यदि हम इस बाबत डॉ0 रामेश्वरसिंह पी0ड0 16 की मुख्य परीक्षा का अवलोकन करें तो उन्होने भी इस बाबत कोई तथ्य जाहिर नहीं किये है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी है, वे पी0ड0 4 डॉ0 राजेन्द्र शर्मा, पी0ड0 6 डॉ0 आदित्य दीक्षित एवं पी0ड0 7 डॉ0 महेन्द्र खींची के रूप में परीक्षित हुए हैं। गवाह पी0ड0 4 डॉ0 राजेन्द्र शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में मृतक की आयु लगभग 30 से 35 वर्ष होना कथन किया है, डॉ0 आदित्य दीक्षीत पी0ड0 6 ने मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष होना कथन किया है यही स्थिति पी0ड0 7 डॉ0 महेन्द्र खींची की भी रही है जिन्होने भी

मृतक लाश के परीक्षण से मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष होना जाहिर किया हैं जबकि मृतक रवि गर्ग की उम्र 20 से 21 वर्ष ही होना बताया गया है।

24. अब न्यायालय के समक्ष एफएसएल रिपोर्ट दिनांकित 17.04.2015 विचारण के दौरान प्रस्तुत हुई और एक अन्य रिपोर्ट दिनांकित 30.04.2015 भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसमें मृतक के दांत, उसके कपाल के बाल और उसकी रिब, लेफ्ट फिबुला के पीसेज इत्यादि की डीएनए प्रोफाईल प्रयागदेवी के ब्लड सैम्पल तथा प्रयाग देवी के खून आलुदा रूई के टुकड़े, उसके सलाईवा तथा इसी प्रकार मदन मोहन के खून के सैम्पल, सलाईवा से प्राप्त डीएनए से मैच करने की जो रिपोर्ट हैं जिस रिपोर्ट के परिणाम के मुताबिक मृतक के दांत से जो डीएनए प्रोफाईल प्राप्त हुई उसका परीक्षण करने के पश्चात् वह प्रयाग देवी और मदन मोहन के जैविक पुत्र के रूप में प्रदर्शित करता है क्योंकि डीएनए प्रोफाईल प्रयागदेवी के लिक्विड ब्लड सैम्पल व मदन मोहन के लिक्विड ब्लड सैम्पल से मैच करता है।

25. अब प्रयागदेवी व मदन मोहन के जो सैम्पल लिए गए उसकी किसी भी प्रकिया का कोई उल्लेख अभियोजन साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। इस बाबत बचाव पक्ष की मुख्य आपत्ति यही थी कि डीएनए टेस्ट हेतु जो सैम्पल एकत्रित किये गये वे किस प्रक्रिया से एकत्रित किए गए इसका कोई साक्ष्य/प्रमाण या स्पष्टीकरण नहीं हैं तो ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि जो डीएनए प्रोफाईल मृतक के दांत की मैच करवायी गयी वह प्राप्त मृत शरीर की ही हो या डीएनए प्रोफाईल से मैच करवाया गया हो वह प्रयाग देवी और मदन मोहन से सैम्पल लिए गए हो। न्यायालय के मतानुसार बचाव पक्ष का यह तर्क विधिसम्मत है क्योंकि सम्यक् प्रक्रिया और साक्ष्य के अभाव में न्यायालय संदेह से परे जाकर यह निर्धारित नहीं कर सकती कि जो मृत शरीर प्रदर्श पी–7 के मुताबिक खान के पास से प्राप्त किया गया वह मदन मोहन के पुत्र रवि गर्ग का ही हो। अतः विचारणीय बिन्दू संख्या–1 अभियोजन के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु संख्या–2

26. यद्यपि विचारणीय बिन्दू संख्या–1 अभियोजन पक्ष के विरूद्ध निर्णीत हुआ हें परन्तु फिर भी आपराधिक शास्त्र का यह सिद्धांत है कि विशेषकर हत्या के मामलों में कि मृतक के शरीर का बरामद ना होना भी महत्वपूर्ण नहीं होता है और महज मृतक के शरीर के प्राप्त नहीं होने से हत्या कारित किये जाने की संभावना क्षीण नहीं हो जाती है तो ऐसी दशा में यदि हम विचारणीय बिन्दू संख्या–2 की विवेचना जारी रखे तो यह पाते है कि विचारणीय बिन्दू संख्या–2 को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0ड0 1 मदन मोहन, जो कि मृतक रवि गर्ग का पिता है, उसकी दोनो पुत्रियॉ तनूजा पी0ड0 21 और भावना पी0ड0 21 परीक्षित हुई थी। इसके अतिरिक्त गवाह विकास उर्फ विक्की पी0ड0 15, योगेश स्वामी पी0ड0 28 को भी परीक्षित करवाया गया था।

27. गवाह विकास उर्फ विक्की पी0ड0 15 अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं को मृतक रवि का दोस्त होना जाहिर करता है और यह कहता है कि रवि जिस लड़की से बात करता था उस लड़की के परिवार का एक लड़का जिसका नाम नरेन्द्र जो विकास की एनजीओ में चालक के पद पर था। लक्ष्मी नरेन्द्र के परिवार की थी। रवि व लक्ष्मी आपस में बात करते थे जो बात उसके मुताबिक खुद रवि ने उसे बतायी थी।

28. गवाह योगेश पी0ड0 28 भी रवि को अपना दोस्त होना बताता है और कहता है कि कई बार रवि ने उसे कहा था कि लक्ष्मी उसकी दोस्त है ओर लक्ष्मी से रवि फोन पर बात करता था। विकास जिरह में पूछे जाने पर कहता है कि वह लक्ष्मी से कभी नहीं मिला वह लक्ष्मी को शक्ल से भी नहीं पहचान सकता। यही तथ्य योगेश ने भी कहे है कि वह लक्ष्मी से कभी नहीं मिला और लक्ष्मी को नहीं पहचानता है, तो इस प्रकार गवाह विकास उर्फ विक्की ओर योगेश रवि के बताएनुसार रवि और लक्ष्मी के मध्य प्रेम संबंध होना बता रहे है। उनके मुताबिक कभी लक्ष्मी और रवि को एकसाथ नहीं देखा।

29. अब इस बाबत गवाह पी0ड0 14 प्रशान्त शर्मा भी परीक्षित हुआ हैं जो अपनी मुख्य परीक्षा में कह रहा है कि उसने और रवि ने एक साथ बीटेक की

पढाई की थी। उसके अनुसार गवाह पी0ड0 15 विकास और लक्ष्मी पहले बात करते थे, विकास को पता लगा गया कि लक्ष्मी का चचेरा भाई विकास की ही एनजीओ में ड्राईवर है जिसका नाम नरेन्द्र है तो विकास ने लक्ष्मी से बातचीत करना बंद कर दिया था फिर रवि ओर लक्ष्मी के गहरा प्रेम संबंध हो गया था। जिरह में पूछे जाने पर उसने भी यही कहा है कि लक्ष्मी और रवि को घुमते नहीं देखा और ना ही कभी लक्ष्मी को देखा और ना ही लक्ष्मी को रवि से बात करते देखा।

30. गवाह पी0ड0 1 मदन मोहन जो कि रवि का पिता है, वह अपनी मुख्य परीक्षा में यह जाहिर कर रहा है कि दिनांक 01.07.2014 को लक्ष्मी उर्फ आस्था नाम की लड़की ने उनके घर के मोबाईल पर तीन चार बार मिस्ड कॉल की थी तब मदन मोहन की लडकी भावना ने लक्ष्मी से बात की थी तब लक्ष्मी ने खुद को नगला बोहरा की होने वाली बात बतायी ओर दिनांक 30.06.2014 तक रवि उसके साथ होना बताया। आगे उसने बताया कि किसी ने लक्ष्मी के घरवालों को सूचना कर दी कि लक्ष्मी किसी लड़के के साथ घुम रही है। जिरह में पूछे जाने पर कहता है कि रवि के किसी लड़की से प्रेम संबंध थे इसकी जानकारी दिनांक 01.07.2014 को फोन आने पर हुई।

31. अब मदन मोहन पी0ड0 1 की लड़की भावना पी0ड0 21 अपनी मुख्य परीक्षा में कह रही है कि दिनांक 01.074.2014 को वह डयूटी पर अस्पताल चली गयी थी। लगभग 11 बजे तनूजा का फोन आया कि हमें नगला बोहरा चलना है जिस पर वह ओर उसकी बहन तनूजा और मृतक का दोस्त सोनू लक्ष्मी की दोस्त बनकर लक्ष्मी के घर नगला बोहरा गई और वहां पर लक्ष्मी ने उन्हें बताया था कि लक्ष्मी और रवि ने स्टाम्प पर शादी कर ली है और तनूजा के पूछने पर बताया कि विकास ने रवि की जानकारी लक्ष्मी से करवायी थी। तभी से रवि को जानती थी। जिरह में पूछे जाने पर उसने स्वीकार किया है कि उसके भाई ने कभी भी किसी लड़की से संबंध होने की बात नहीं बतायी थी ओर भाई के दोस्तों ने भी नहीं बतायी थी। यही स्थिति कमोबेश तनूजा पी0ड0 20 की भी है जो अपनी मुख्य परीक्षा में लक्ष्मी की दोस्त बनकर उनके घर

जाना ओर वहां लक्ष्मी द्वारा यह बताना जाहिर कर रही है कि विकास ने 6 महिने पहले रवि की जानकारी लक्ष्मी से करवायी थी। जिरह में जाहिर कर रही है कि वह लक्ष्मी को नहीं जानती थी। घर आने से पहले कभी लक्ष्मी को नहीं देखा था ना ही उसका फोटो देखा था।

32. इस प्रकार देखा जाएँ तो उपरोक्त गवाहान में से किसी भी गवाह ने लक्ष्मी और रवि को कभी एकसाथ नहीं देखा। जो गवाहान रवि के दोस्त हैं वह रवि के बताएनुसार उसका लक्ष्मी से प्रेम संबंध होना जाहिर कर रहे है जबकि तनुजा और भावना, लक्ष्मी के बताएनुसार रवि का लक्ष्मी से प्रेम संबंध होना बता रही है।

33. अब सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह यह है कि दिनांक 01.07.2014 को मदन मोहन पी0ड0 1, तनुजा पी0ड0 20 एवं भावना पी0ड0 21 के अनुसार लक्ष्मी नाम की लड़की ने उसके घर के फोन पर 3–4 बार मिस्ड कॉल दी ओर बात करने पर अपना पूर्ण परिचय बताया।

34. मदन मोहन पी0ड0 1 ने अपने घर का मोबाईल नंबर 9928908762 होना बताया है। अब रवि के पास भरतसिंह पी0ड0 19 के मुताबिक दो मोबाईल नंबर क्रमशः 8947026905 व 8561080434 थे। उनके मुताबिक जब उन्होने रवि के मोबाईल पर फोन किया तो मोबाईल लक्ष्मी उर्फ आस्था के पास था जो नगला बोहरा में है और उस लड़की ने बताया था कि दिनांक 30.06.2014 को रवि उसके साथ जयपुर गया था और उसे घरवाले जयपुर से नगला बोहरा लेकर आए।

35. पत्रावली पर जो कॉल लॉग की रिपोर्ट है। उसमें प्रदर्श पी–91 मोबाईल नंबर 8561080434 का सबक्रिप्शन फार्म रवि कुमार के नाम जारी होना और उसके साथ उसके आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है। उसकी कॉल लॉग रिपोर्ट प्रदर्श पी–93 है।

36. मदन मोहन ने जिस मोबाईल नंबर 9928908762 पर लक्ष्मी द्वारा दिनांक 01.07.2014 को कॉल किया जाना बताया है तो उक्त मोबाईल नंबर की कॉल लॉग रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जिससे न्यायालय के मतानुसार यही

प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 01.07.2014 को मदन मोहन के उक्त मोबाईल नंबर पर लक्ष्मी का कोई फोन आया हो।

37. प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ0 रामेश्वरसिंह पी0ड0 16 ने अपनी संपूर्ण मुख्य परीक्षा में उपरोक्त मोबाईल नंबरों की कॉल लॉग प्राप्त किये जाने बाबत कोई तथ्य नहीं बताए हैं। यही स्थिति गवाह मुकुट बिहारी पी0ड0 32 की भी है उन्होने भी अपनी मुख्य परीक्षा में उपरोक्त नंबरों की कॉल लॉग प्राप्त करना जाहिर किया है तो ऐसी दशा में न्यायालय के मतानुसार जो अभियोजन साक्षी रवि ओर लक्ष्मी के मध्य प्रेम संबंध होना जाहिर कर रहे है उन्होने लक्ष्मी और रवि को एकसाथ नहीं देखा और उन्होने रवि अथवा लक्ष्मी के बताएनुसार ही न्यायालय में उन दोनों के मध्य प्रेम संबंध होने का तथ्य जाहिर किया है।

38. गवाह मदन मोहन पी0ड0 1 द्वारा अपने पुत्र के ना मिलने पर एक परिवाद प्रदर्श पी—69 जो प्रस्तुत किया गया था उस पर थाना कुम्हेर में जांच की गयी थी। उक्त जांच परिवाद में लक्ष्मी के दिनांक 05.07.2014 को बयान हुए थे जिसमें लक्ष्मी जरूर रवि से अपना प्रेम संबंध होना जाहिर कर रही है परन्तु इसके अतिरिक्त लक्ष्मी के कोई सशपथ बयान ना ही इस न्यायालय के समक्ष और ना ही उक्त कुम्हेर में दर्ज मुकदमें में लेखबद्ध हुए तो ऐसी दशा में न्यायालय के मतानुसार अभियोजन पक्ष संदेह से परे जाकर यह साबित करने में असफल रहा है कि मदन मोहन पी0ड0 1 के पुत्र रवि का अभियुक्त अमरसिंह की पुत्री लक्ष्मी से मिलना—जुलना और प्रेम—प्रसंग था जिससे विचारणीय बिन्दू संख्या—2 को संदेह से परे जाकर साबित करने में असफल रहा है। अतः विचारणीय बिन्दू संख्या—2 अभियोजन पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

विचारणीय बिन्दू संख्या—3

39. न्यायालय के समक्ष जो अनुसंधान सामग्री एवं अभियोजन साक्ष्य के जरिये जो कथानक प्रस्तुत किया गया है उसमें मृतक रवि की हत्या करने का उददेश्य (मौटिव) यह बताया गया था कि रवि और लक्ष्मी के मध्य प्रेम संबंध था जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मी के पिता अमरसिंह ने अन्य अभियुक्तगण के साथ समान आशय (Comman Intention) रखते हुए रवि की हत्या कर दी।

40. अब न्यायालय के समक्ष जबकि विचारणीय बिन्दू संख्या—2 अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है तो ऐसी स्थिति में यही उददेश्य (मोटिव) नासाबित हो जाता है कि रवि और लक्ष्मी के मध्य प्रेम संबंध से अमरसिंह क्रोधित हो। फिर भी यदि मान भी लें कि रवि और लक्ष्मी के मध्य प्रेम संबंध था तो हमें यह देखना होगा कि क्या अमरसिंह ने अन्य अभियुक्तगण के समान आशय रखते हुए रवि का अपहरण कर उसकी हत्या कारित की ?

41. अब मृतक रवि के संबंध में मदन मोहन पी0ड0 1 द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 30.06.2014 को जयपुर जाने की कहकर रवि सुबह 5 बजे गया था फिर उसने शाम को फोन करके यह कहा कि वह दूसरे दिन वापस आएगा। जिसके पश्चात् दिनांक 01.07.2014 को रवि गर्ग के मोबाईल नंबर 8561080434 से लक्ष्मी का फोन घर के फोन पर आया जिसने रवि से दोस्ती होना और रवि का दिनांक 30.06.2014 को लक्ष्मी के साथ जयपुर में होना बताया ओर लक्ष्मी के बताएनुसार ही यह बात उसके भाई नरेन्द्र, चेतन पिता अमरसिंह एवं मामा बृजेन्द्रसिंह को पता लग गयी थी। यह सभी रवि को जयपुर से नगला बोहरा ले आए ओर जहां रवि की पिटाई की ओर लक्ष्मी ने ही मदन मोहन को बताया कि उसके घरवाले बहुत खतरनाक है, रवि को जान से मार देगें जिसके पश्चात् लक्ष्मी के बुलाने पर दिनांक 02.07.2014 को मदन मोहन की बेटी भावना लक्ष्मी के पास गयी थी। लक्ष्मी ने भी 3—4 जुलाई तक कई बार उक्त मोबाईल नंबरों से मदन मोहन के घर पर फोन किया था। प्रदर्श पी—69 के मुताबिक रवि के वापस ना आने पर दिनांक 05.07.2014 को और उससे पूर्व दिनांक 03.07.2014 को घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक भरतपुर को और पुलिस थाना मथुरा गेट पर दी थी। आगे उक्त परिवाद के पद संख्या—2 में लिखा है कि रवि को जयपुर से नगला बोहरा लाकर पिटाई की गयी ओर उसके बाद बंधक बना लिया गया।

42. अब हस्तगत प्रकरण में जो आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ हें उसके मुताबिक अमरसिंह को लक्ष्मी ओर रवि गर्ग के प्रेम प्रसंग का पता होने पर दिनांक 01.07.2014 को लक्ष्मी के पिता अमरसिंह, भाई चेतन, नरेन्द्र रवि को जयपुर से मारने

के ईरादे से अगवाकर अपनी गाड़ी में लाए और रामकिशोर बंजारा के सहयोग से रासावाला गांव में खान के पास अमरसिंह ने प्लास्टिक की चिपनुमा रस्सी से गला घोंटकर मारकर फैंक दिया। इस प्रकार जहां प्रदर्श पी–69 में पी0ड0 1 मदन मोहन रवि ओर लक्ष्मी दोनो को मुलजिमान द्वारा जयपुर से नगला बोहरा लाना और फिर वहां पिटाई करना उसके पश्चात् भावना का नगला बोहरा जाकर लक्ष्मी से मिलना ओर नगला बोहरा में ही रवि की हत्या करना जाहिर कर रहा है वहीं हस्तगत प्रकरण के आरोप पत्र में दिनांक 01.07.2014 को ही रवि की हत्या आंधी थाना में रासावाला इलाके में खान के पास रस्सी से गला कसकर किया जाना जाहिर किया जा रहा है। आरोप पत्र में जिस प्रकार अपराध का किया जाना वर्णित हैं उसका एक मजबूत आधार उसी स्थान से लाश या एक मृत शरीर का पाया जाना प्रतीत हो रहा है परन्तु उक्त मृत शरीर रवि का हो, उपरोक्तानुसार अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है।

43. आरोप पत्र में मुलजिमान द्वारा रवि गर्ग को जयपुर से एक वाहन में, जिसके नंबर आरजे–05सीए–2808 बताया गया है, जबरदस्ती बिठाकर ले जाना जाहिर किया जा रहा है और इसे समर्थित करने के लिए महुआ टोलवे लि0 राजाधोक टोल प्लाजा की डीवीडी सीडी रिकार्डिंग प्रदर्श पी–73 के जरिये प्रदर्श पी–74 व 75 एकत्रित किया जाना बताया गया है। उक्त प्रदर्श पी–74 के मुताबिक एक वाहन जिसके पंजीकरण संख्या में अंतिम चार अंक 2808 है, ने 01 जुलाई को 3 बजकर 48 मिनट 11 सैकिण्ड पर टोल क्रास किया है और वही वाहन दिनांक 01.07.2014 को 1.00 पीएम पर भी वापस क्रास हुआ है। अनुसंधान में यह पाया गया है कि यह वाहन वही वाहन है जिसमें कि रवि गर्ग को जबरदस्ती लाया गया। उक्त वाहन से पहले भरतपुर से अभियुक्तगण जयपुर आए और रवि को लेकर घटना कारित कर जयपुर से भरतपुर की ओर क्रास किया।

44. उक्त वाहन संख्या 2808 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–22 जप्त किया गया जो कार इण्डिगो कार संख्या आरजे–05सीए–2808 थी। अब प्रदर्श पी–22 का

अवलोकन करें तो उसमें अभियुक्त पवन उर्फ छोटू एंव अमरसिंह की सूचना के अनुसार उक्त वाहन को जप्त किया जाना जाहिर किया गया है।

45. अब अभियुक्त अमरसिंह की उक्त सूचना पत्रावली पर प्रदर्श पी–24 है जिसमें वह कह रहा है कि उसने पवन, चेतन, प्रवीण ने रवि गर्ग को जयपुर से कार संख्या आरजे–05सीए–2808 इण्डिगो लाल बैंगनी में डालकर मोहनपुरा बस्सी से रामकिशोर बंजारा को लेकर रासावाला के जंगल में हत्या करके लाश को खान में पटका था वह कार उसके भांजे जयवीर सिंह की है। उक्त सूचना दिनांक 29.08.2014 को सांय 5.30 बजे दी गयी हैं। दिनांक 30.08.2014 को प्रदर्श पी–22 के जरिये वाहन जप्त किया गया है जो टोल प्लाजा से वाहन के संबंध में रिपोर्ट ली गयी है वो प्रदर्श पी–73 लगायत 75 हैं उसमें सूचना दिनांक 16.09.2014 को प्राप्त होना दर्शाया गया है जिससे यह सुस्पष्ट है कि वाहन को प्रकरण में संलिप्त किये जाने की एकमात्र स्त्रोत अभियुक्तगण की खुद की सूचना अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी पुष्टिकारक साक्ष्य एकत्रित नहीं की गयी है जो वाहन को घटना में शामिल होना प्रदर्शित करता हो। जो टोल प्लाजा की रिपोर्ट है उसमें वाहन संख्या 2808 बताया जा रहा है। वाहन का कोई अन्य विवरण जैसे कि रंग इत्यादि दर्शित नहीं है।

46. अब यदि हम प्रदर्श पी–74 का पुनः अवलोकन करें तो एक तथ्य यह प्रदर्शित हो रहा है कि कुछ वाहनों के पंजीकरण संख्या पूरी तरह दिये गये है और कुछ वाहनों के अंतिम के चार अंक दिये गये है। प्रदर्श पी–75 का अवलोकन करें तो उसमें पहली पंक्ति में जो वाहन संख्या हैं वह आरजे–06 टीए–0050 है। उसके बाद सातवे नंबर पर वाहन संख्या 2808 है। उसके पश्चात् युपी–80ए–1815 नंबर का वाहन है और अगली श्रृखंला 0595, 3334 दिखाया गया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि जो एक ही श्रृखंला के वाहन है, उनकी संख्या एकसाथ रखी गयी है जैसे कि आरजे–05टीए–0050 के बाद जो वाहन संख्या 9518 है उसकी भी पूर्ण नंबर आरजे–06टीए होने की संभावना रहती है तो ऐसी दशा में वाहन संख्या 2808 जिसका विवरण प्रदर्श

पी—75 में दिया गया है वह भी शायद आरजे—06टीए—2808 हो जबकि वाहन जो प्रदर्श पी—22 के जरिये जप्त किया गया है वह आरजे—05—सीए—2808 है। इस बाबत यह भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है कि वाहन के अंदर जो खून का नमूना मिला था उसे जांच हेतु एफएसएल भेजा गया है ओर एफएसएल की जो रिपोर्ट दिनांकित 13.04.2015 पत्रावली पर मौजूद है उसमें प्रदर्श पी—10 लगायत प्रदर्श पी—13 इंडिगो संख्या आर.जे. 05 सी.ए. 2808 के पीछे की सीट पर मिले स्वाब, डिक्की में मिले स्वाब और कार से बरामद बाल है। अब उनके परीक्षण का जो परिणाम दिया गया है, उसमें प्रदर्श पी—13 मानव बाल (ह्यूमन हेयर) होना जाहिर हुआ है। प्रदर्श पी—6 जो मृतक का बाल था, उसकी प्रदर्श पी—13 बाल से तुलना नहीं हो सकी है और प्रदर्श पी—10 लगायत प्रदर्श पी—12 परीक्षण के दौरान ही कंज्यूम होना दर्शित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के मतानुसार यह तथ्य भी संदेह से परे साबित नहीं होता है कि वाहन संख्या आर.जे. 05 सी.ए. 2808 को घटना में प्रयुक्त किया गया हो या दूसरे शब्दों में कहिए तो मृतक रवि गर्ग का अपहरण करने के लिए उक्त वाहन का उपयोग किया गया हो।

47. अब अभियुक्तगण को संलिप्त करने के लिए जो साक्ष्य श्रृंखला पत्रावली पर रह जाती है वह कॉल लॉग का रिकार्ड्स है। जो न्यायालय के समक्ष प्रदर्श पी—46 लगायत प्रदर्श पी—61, प्रदर्श पी—71 लगायत प्रदर्श पी—74, प्रदर्श पी—76 लगायत प्रदर्श पी—103 है। इन सभी से हद से हद यही साबित हो रहा है कि या तो तथाकथित अभियुक्तगण के आपस में वार्ता हुई या तो मृतक के पास अभियुक्तगण में से किसी व्यक्ति ने फोन किया हो। वार्ता क्या हुई, इसका कोई ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है। अभियुक्तगण सभी एक ही परिवार के आपस में रिश्तेदार है। उनके आपस में बातचीत होना स्वभाविक तथ्य है तो ऐसी स्थिति में महज कॉल रिकार्ड के आधार पर या अभियुक्तगण द्वारा आपस में बातचीत किये जाने के आधार पर या अभियुक्तगण में से किसी के द्वारा भी मृतक अथवा लक्ष्मी से बातचीत के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण मृतक रवि गर्ग की हत्या में संलिप्त रहे हो।

48. इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर विवेचना की गई है कि घटना का मोटिव (उद्देश्य) संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। अभियुक्तगण मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया हो, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है। तथाकथित घटना में प्रयुक्त वाहन में मृतक को ले जाया गया हो, इसकी भी कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, जो वाहन जप्त हुआ है, वहीं वाहन टोल से क्रोस हुआ हो, यह तथ्य भी साबित नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में न्यायालय के मतानुसार अभियोजन पक्ष ऐसी कोई भी परिस्थिति न्यायालय के समक्ष साबित करने में असफल रहा है कि जो केवल और केवल यह संकेत करती हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक रवि गर्ग की हत्या की गई हो, तो ऐसी दशा में न्यायालय के मतानुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दू संख्या–3 को संदेह से परे जाकर साबित करने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दू संख्या–4 व 5 :–

49. उक्त दोनो विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन को यह साबित करना था कि क्या अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के क्रम में घटना को छिपाने के लिए मृतक रवि गर्ग की लाश को कली की खान ग्राम रासावाला वन भूमि की जमीन में रख दिया तथा क्या इस आशय की साक्ष्य गढने के लिए कि मृतक रवि गर्ग जिन्दा है, मृतक की सिम का उपयोग मृतक की सिम को सक्रिय रखते हुए अमरसिंह की पुत्री लक्ष्मी को मैसेज देने हेतु उपयोग में लिया गया और मैसेज भेजकर इस आशय की मिथ्या साक्ष्य गढी। इस संबंध में न्यायालय के मतानुसार जब अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दू संख्या–1 लगायत 3 में मृतक शव रवि गर्ग का होना, रवि गर्ग व लक्ष्मी के मध्य प्रेम संबंध होना तथा उक्त प्रेम संबंधों से क्रोधित होकर अभियुक्तगण द्वारा रवि गर्ग की हत्या करने का तथ्य ही संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है तो यह नहीं माना जा सकता कि मृतक रवि गर्ग की लाश को साक्ष्य छिपाने के आशय से कली की खान, वन भूमि, रासावाला में रखा हो एवं मिथ्या साक्ष्य गढने के आशय से मृतक रवि गर्ग के फोन में लगी सिम से लक्ष्मी को मैसेज भेजा। ऐसी स्थिति में न्यायालय के मतानुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दू संख्या–4 व 5 को संदेह से परे जाकर साबित करने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 6 :—

50. चूंकि विचारणीय बिंदु संख्या—1 लगायत 5 अभियोजन पक्ष के विरुद्ध निर्णीत हुए है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण किसी भी कृत्य के लिए दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्ष :—

51. परिणामतः उक्त विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण रामकिशोर धारा 364 सपठित धारा 34, 302 विकल्प में धारा 302 / 34, 201 विकल्प में धारा 201 / 34 भादसं व अभियुक्तगण अमरसिंह, प्रवीण कुमार, पवन एवं चेतनसिंह धारा 364, 302 विकल्प में धारा 302 / 34, 201 विकल्प में धारा 201 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आ दे श

52. 1. कि अभियुक्त (1) रामकिशोर पुत्र प्रभूसिंह, निवासी—रामजीपुरा, पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 364 सपठित धारा 34, 302 विकल्प में धारा 302 / 34, 201 विकल्प में धारा 201 / 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्तगण (2) अमरसिंह पुत्र फूल सिंह,निवासी—नंगला बोहरा, पुलिस थाना—कुम्हेर, जिला भरतपुर (3) पवन उर्फ छोटू पुत्र विरेन्द्र सिंह, निवासी—सारस चौराहे के पास, विजय नगर कॉलोनी, भरतपुर, पुलिस थाना—मथुरा गेट, जिला—भरतपुर (4) प्रवीण उर्फ पिन्टू पुत्र रमेश चंद, निवासी—नंगला बोहरा, पुलिस थाना—कुम्हेर, जिला—भरतपुर (5) चेतन पुत्र अमरसिंह, निवासी—नंगला बोहरा, पुलिस थाना— कुम्हेर, जिला—भरतपुर को अपराध अंतर्गत धारा 364, 302 विकल्प में धारा 302 / 34, 201 विकल्प में धारा 201 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

2. कि अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

3. कि अभियुक्तगण द्वारा धारा 437—क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10—10 हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश किए जा चुके है जो बाद

जांच तस्दीक किए गए, जो बाद गुजरने मियाद अपील / रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

4. कि निर्णय की एक प्रति धारा 457–ए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को विधिनुसार प्रतिकर दिलाए जाने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला को प्रेषित हो।

5. कि प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश के अध्याधीन बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिवीजन नियमानुसार निस्तारित किये जावें।

(विद्यानन्द शुक्ला)
अति0 सेशन न्यायाधीश,क्रम–2,
जयपुर जिला जयपुर

53. निर्णय आज दिनांक 09 जून,2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विद्यानन्द शुक्ला)
अति0 सेशन न्यायाधीश,क्रम–2,
जयपुर जिला जयपुर